भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 977
दिनांक 05.02.2026 को उत्तर के लिए नियत

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ खादी उत्पाद

977 . श्री अ. मनिः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान, विशेषकर उत्पादन, बिक्री और रोजगार सृजन के संबंध में तमिलनाडु में खादी और ग्रामोद्योग संस्थानों के कार्य-निष्पादन और व्यवहार्यता की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में कितनी खादी संस्थाएं, नामांकित कारीगर और कार्यशील इकाइयां और उन्हें किस स्तर पर अवसंरचना संबंधी सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या मार्जिन मनी राजसहायता, विपणन सहायता और कच्चे माल की उपलब्धता में किसी विलंब या कमी का खादी इकाइयों के विकास और स्थायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में खादी के विकास, विपणन और शहरी खुदरा विस्तार के लिए कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई है और कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(ङ) कारीगरों की आय में सुधार लाने के लिए बाजार संपर्क, ब्रांड संबर्धन और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के साथ खादी उत्पादों के एकीकरण को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): सरकार द्वारा खादी संस्थानों के उत्पादन, बिक्री और रोजगार जैसे कार्य-निष्पादन की नियमित रूप से निगरानी मंत्रालय के सांविधिक संगठन खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से की जाती है। पिछले 3 वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य में खादी क्षेत्र में उत्पादन, बिक्री और सृजित रोजगार निम्नानुसार है:

(लाख रुपए में; रोजगार सं. में)

क्र.सं.	विवरण	विगत तीन वर्षों में कार्य-निष्पादन
1	उत्पादन	92195.70
2	बिक्री	163828.37
3	संचयी रोजगार	21315

(ख) और (घ): तमिलनाडु राज्य में कुल 81 खादी संस्थाएँ पंजीकृत हैं, जिनमें से 73 खादी संस्थाएँ क्रियाशील हैं। तमिलनाडु राज्य में खादी क्षेत्र में कुल 21,315 खादी कारीगर कार्यरत हैं।

खादी संस्थाओं को प्रदान की जाने वाली अवसंरचना सहायता के संबंध में, विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के माध्यम से खादी संस्थाओं और कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जैसे:

- **संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए):** एमएमडीए के अंतर्गत, बिक्री केंद्रों के आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण, पोस्ट फैब्रिक चरण/प्रक्रिया में नवीनतम तकनीकों को अपनाकर मूल्य संवर्धन, प्रौद्योगिकी उन्नयन आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
- **आईसेक:** केवीआईसी द्वारा पात्र खादी संस्थानों को उनके उत्पादन स्तर और अनुमानित धन आवश्यकताओं के आधार पर ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईसेक) जारी किया जाता है। स्कीम के अंतर्गत, खादी संस्थाओं को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर पूंजी निवेश और क्रियाशील पूंजी दोनों के लिए 4% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है।
- **खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम:** स्कीम के इस घटक का उद्देश्य खादी कारीगरों को कताई और बुनाई क्रियाकलापों के लिए बेहतर कार्यस्थल प्रदान करना है। यह कच्चे माल, उपकरण, सहायक उपकरण और अर्ध-निर्मित या तैयार माल आदि के लिए भंडारण सुविधाएं भी प्रदान करता है।
- **अवसंरचना सहायता प्रदान करके मौजूदा कमजोर खादी संस्थानों का सुदृढीकरण:** स्कीम के इस घटक के अंतर्गत कमजोर, रुग्ण, संकटग्रस्त अथवा डी-श्रेणी वाले ऐसे खादी संस्थानों को आवश्यकता-आधारित सहायता प्रदान की जाती है जिनमें पुनर्जीवित होने और आत्मनिर्भर बनने की क्षमता होती है।
- **बिक्री केंद्रों के नवीनीकरण के लिए विपणन सहायता:** स्कीम के इस घटक का उद्देश्य बिक्री केंद्रों का नवीनीकरण, नई डिजाइनों की शुरूआत और रेडी-टू-यूज उत्पादों के विकास के माध्यम से खादी उत्पादों के विपणन को बढ़ाना है।

पिछले 3 वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य में खादी के विकास के लिए स्कीमों के विभिन्न घटकों के अंतर्गत केवीआईसी द्वारा संवितरित निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**स्कीम के घटक**	**पिछले 3 वर्षों में केवीआईसी द्वारा संवितरित निधि (लाख रुपये में)**
1	संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए)	7251.20
2	ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण-पत्र (आईसेक)	2144.29
3	वर्क-शेड स्कीम	194.40
4	कमज़ोर खादी संस्थाओं का सुदृढीकरण (अवसंरचना सहायता)	15.00
5	कमजोर खादी संस्थाओं का सुदृढीकरण (विपणन सहायता)	167.93
6	प्रदर्शनियां	108.75

(ग): संस्थाओं की आवश्यकताओं और स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार, खादी संस्थानों को समय पर विपणन सहायता और कच्चे माल की उपलब्धता प्रदान की गई है।

(ङ): कारीगरों की आय में सुधार के लिए बाजार संपर्क को सुदृढ़ करने, ब्रांड संवर्धन और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के साथ खादी उत्पादों के एकीकरण के लिए केवीआईसी द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

- केवीआईसी स्वयं का ई-कॉमर्स पोर्टल www.khadiindia.gov.in संचालित करता है जो खादी उत्पादों की खरीद के लिए राष्ट्रव्यापी पहुंच प्रदान करता है।
- केवीआईसी विभिन्न प्रदर्शनियों जैसे राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी, क्षेत्रीय स्तर की प्रदर्शनी, राज्य स्तरीय प्रदर्शनी, जिला स्तरीय प्रदर्शनी, विशेष प्रदर्शनी आदि का आयोजन कर रहा है।
- केवीआईसी खादी संस्थाओं को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, विदेश में व्यापार मेलों आदि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
- खादी महोत्सव के दौरान, खादी उत्पादों 2के विपणन के लिए विशेष बिक्री को प्रोत्साहित किया जाता है।
- इसके अलावा, केवीआईसी विभिन्न विपणन कार्यक्रमों जैसे शास्त्र और सारंग @ आईआईटी-मद्रास, ध्रुव @ आईआईएम-तिरुचिरापल्ली आदि को प्रायोजित कर रहा है।
- खादी उत्पादों की मुख्य विशेषताओं का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है।
- ब्रांड 'खादी इंडिया' का प्रचार ब्रांड जागरूकता और बाजार पहुंच बनाने के लिए अन्य/स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को प्रायोजित करके किया जाता है।

***